

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10195/2020

सीता राम स्वामी एवं अन्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य।

----प्रतिवादीगण

संबद्ध :

1. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3328/2020
2. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6996/2020
3. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7702/2020
4. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10966/2020
5. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16907/2021

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : कोई भी उपस्थित नहीं है

प्रतिवादीगण के लिए : श्री कमलेश शर्मा - ए.जी.सी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

16/01/2025

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, बाद में प्रबोधक के रूप में चयनित और नियुक्त होने पर, शिक्षा कर्मियों के रूप में पूर्व संविदात्मक सेवाओं का लाभ न दिए जाने से उत्पन्न होती है। यहाँ उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की संबंधित तिथियों से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.), चयन ग्रेड, वेतनमान और पदोन्नति के लाभ दिए जाने की मांग की गई है। उन्हें बाद में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के तहत वर्ष 2008 में एक भर्ती

प्रक्रिया के अनुसरण में प्रबोधक के रूप में नियुक्त किया गया था, जब नई पेंशन योजना लागू थी।

2. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संविदात्मक आधार पर उनकी प्रारंभिक सेवा प्रविष्टि (उन सभी की संविदा सेवाएँ 01.01.2004 से पूर्व की थीं) 01.01.2004 को नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) लागू होने से पहले की है, जो उन्हें ओ.पी.एस. के लिए पात्र बनाती है। ओ.पी.एस. से इनकार किये जाने को मनमाना, असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया है।

3. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले की पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. तथ्यों, जो न्यायनिर्णयन के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं हैं, पर विस्तार से ध्यान दिए बिना याचिकाओं के प्रत्युत्तर में दायर जवाब में बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए प्रासंगिक अनुच्छेदों को पुनः प्रस्तुत करना पर्याप्त है, जो नीचे दिए गए हैं:-

“6-11. यह कि रिट याचिका के पैरा संख्या 6 से 11 में किए गए कथनों को पंचायतीराज विभाग द्वारा वर्ष 2008 में प्रबोधक के पद के लिए प्रकाशित भर्ती की सीमा तक स्वीकार किया जाता है और उक्त भर्ती में दिए गए प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई थी और उन अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट प्रदान की गई थी जिनके राजीव गांधी पाठशाला में शिक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने की सूचना दी गई थी और जबकि, याचिकाकर्ता को पैरा शिक्षक/शिक्षा सहयोगी/शिक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने प्रबोधक के पद पर भर्ती में दिए गए प्रावधान के अनुसार विशिष्ट शर्तों को पूरा किया था, उसकी अभ्यर्थिता पर विचार किया गया है और उसे प्रबोधक के पद पर नई नियुक्ति के रूप में नियुक्ति दी गई है और इसलिए, ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता मामले में दावा किए गए अनुसार कोई राहत पाने के लिए पात्र नहीं है, दूसरे शब्दों में, यहां यह इंगित करना उचित है कि पैरा शिक्षक/शिक्षा सहयोगी/

शिक्षा कर्मियों के रूप में कार्य अनुभव प्रबोधक के पद पर चयन के लिए योग्यता में से एक हो सकता है और अंततः प्रबोधक के रूप में चयन के बाद याचिकाकर्ता की सेवाओं की गणना केवल प्रबोधक के रूप में नियुक्ति से की जानी है और पैरा टीचर / शिक्षा सहयोगी / शिक्षा कर्मियों के रूप में किए गए कार्य को सेवा लाभ के उद्देश्य के लिए निरंतर सेवा नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, सेवा लाभों की गणना प्रबोधक के रूप में नियुक्ति की तिथि से की जानी, उससे पहले से नहीं और जहां तक पुरानी पेंशन योजना लागू करने के दावे का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जब प्रबोधक के रूप में सेवा में नियमित नियुक्ति वर्ष 2008 में होती है और वर्ष 2004 से लागू नई पेंशन योजना के अनुसार पुरानी पेंशन योजना बिल्कुल भी लागू नहीं होती है और इस प्रकार याचिकाकर्ता के लिए पुरानी पेंशन योजना का दावा टिकाऊ और पोषणीय नहीं है।

यह भी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका विचारणीय और पोषणीय नहीं है क्योंकि यह वर्तमान प्रबोधक पद के लिए एक विशेष योजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व नियुक्ति के संबंध में सेवा अवधि की गणना हेतु प्राथमिकता की मांग करते हुए इसे प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं है। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के अंतर्गत प्रबोधक के पद पर याचिकाकर्ताओं का चयन और नियुक्ति पूर्णतः स्वतंत्र और नई भर्ती है और यहाँ यह प्रस्तुत करना और भी प्रासंगिक है कि सेवा अवधि के निर्धारण हेतु पूर्व संविदात्मक नियुक्ति को वरीयता देने के संबंध में उक्त कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रबोधक के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए किसी भी कार्य संविदात्मक कार्य से संबंधित अभ्यर्थी / व्यक्ति के आमेलन या किसी भी वरीयता के संबंध में 2008 के उपरोक्त नियमों के तहत कोई विशिष्ट और अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इस योजना के तहत संविदात्मक या अन्यथा संलग्नता होने के नाते अभ्यर्थी द्वारा दिए गए कार्य की गणना का दावा पोषणीय नहीं है क्योंकि यह प्रबोधक के पद पर 2008 के नियमों के तहत नई नियुक्ति के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं रखता है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका सारहीन होने के कारण खारिज और निरस्तकिए जाने योग्य है।

राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अंतर्गत प्रबोधक के पद पर नियुक्ति की प्रकृति के संबंध में ऊपर किए गए निवेदन के मद्देनजर, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उक्त नियम 2008 के तहत प्रबोधक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि केवल उक्त 2008 नियमों के माध्यम से शासित एक नया और स्वतंत्र नियम है और इस प्रकार, विशेष रूप से उक्त 2008 के नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सेवा की पुष्टि और नियमितीकरण के लिए दो वर्ष की संतोषजनक परिवीक्षा अवधि को पूरा करना पूर्णतः आवश्यक है और इसलिए, यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के प्रावधान का वर्तमान मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है और इस प्रकार यह यहां बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। प्रासंगिक कानून की उक्त स्थिति और प्रबोधक के रूप में नियुक्त याचिकाकर्ताओं की स्थिति को देखते हुए, इस रिट याचिका में मांगी गई राहत पोषणीय नहीं है और इसलिए वर्तमान रिट याचिका सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

5. तदनुसार, इसके अतिरिक्त कोई हलफनामा और/या प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।
6. इस प्रकार, प्रतिवादीगण द्वारा प्रत्युत्तर में अपनाए गए रुख, जैसा कि ऊपर पुनरुत्पादित किया गया है, का खंडन नहीं किया गया है। मेरे अनुसार, यह ऊपर प्रत्युत्तर के उद्धृत पैरा 6-11 में उल्लिखित प्रासंगिक नियमों/निर्देशों के अनुरूप प्रतीत होता है। मेरा मानना है कि न तो तथ्यों में कोई अनियमितता है और न ही कोई ऐसा कानून है जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े।
7. याचिकाकर्ताओं को राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के अंतर्गत प्रबोधक के पद पर नियुक्त किया गया था। शिक्षाकर्मियों के रूप में उनकी पूर्व सेवा को केवल चयन हेतु एक योग्यता माना गया था, न कि पेंशन या अन्य सेवा लाभों के लिए निरंतर सेवा के रूप में। चूँकि प्रबोधक के रूप में उनकी नियुक्ति एक नई नियुक्ति थी, इसलिए उनका सेवा कार्यकाल उसी तिथि से शुरू होता है। पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) के स्थान पर नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) लागू की गई, जो 01.01.2004 से प्रभावी है। याचिकाकर्ताओं को औपचारिक

रूप से प्रबोधक के रूप में 2008 में नियुक्त किया गया था, जो एन.पी.एस. व्यवस्था के अंतर्गत आता है। चूँकि उनकी नियमित नियुक्ति ओ.पी.एस. की कट-ऑफ तिथि के बाद हुई थी, इसलिए ओ.पी.एस. लाभों के लिए उनका दावा कानूनी रूप से असमर्थनीय है।

8. प्रबोधक नियुक्तियों को शासित करने वाले 2008 के नियम किसी भिन्न योजना (जैसे शिक्षाकर्मी) के अंतर्गत पिछली संविदात्मक सेवा की गणना करने का प्रावधान नहीं करते हैं याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 लागू होने चाहिए, गलत है, क्योंकि 2008 के नियम स्वतंत्र हैं और विशेष रूप से उनकी सेवा शर्तों के लिए हैं। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 वरिष्ठता, सेवा अवधि या पेंशन लाभों के निर्धारण के लिए पूर्व संविदात्मक नियुक्ति को मान्यता नहीं देता। 2008 के नियमों में संविदात्मक कर्मचारियों के लिए आमेलन या वरीयता का कोई प्रावधान नहीं है। चूँकि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 इस मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि 2008 के नियमों के तहत नियुक्तियाँ विशेष रूप से उनके अपने प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं, इसलिए याचिकाएँ गुणदोष रहित हैं। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नई और स्वतंत्र है, और इसलिए वे लागू नियमों में छूट या अन्य लाभों के लिए पूर्व संविदात्मक सेवा का दावा नहीं कर सकते।

9. तदनुसार, रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

139 से 144-ए.के चौहान/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
